

D-223/2017 मोतीलाल V/S

नम्बर ...
जो इस ...

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

08/06/23

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्तागण एव उभयपक्षकारान अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 17.06.2019 के पश्चात रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के उत्तराधिकारियों एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के सम्मन नोटिस कई अवसर दिये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये। इस बाबत दिनांक 09.06.2022 व दिनांक 17.01.2023 को अन्तिम अवसर दिये गये एवं दिनांक 31.03.2023 को न्यायहित में एक अवसर ओर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट की ओर से न तो कोई ठोस कारण प्रस्तुत किये जा रहे हैं ओर न ही सम्मन नोटिस प्रस्तुत किये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों की रोशनी में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के प्रस्तावित उत्तराधिकारियों एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के विरुद्ध यह अपील निरस्त की जाती है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.12.1989 से रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के साथ संयुक्त डिक्रीदार हैं। उक्त निर्णय व डिक्री के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है। अतः वाद ग्रस्त आराजीयात की अपील में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 महत्वपूर्ण पक्षकार थे। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की मृत्यु पर इनके उत्तराधिकारियों को सुना जाकर रेस्पोंडेन्ट के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाना अति आवश्यक है। परन्तु अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के उत्तराधिकारियों को पक्षकार रेस्पोंडेन्ट संयोजित करवाने हेतु तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की तलबी हेतु सम्मन नोटिस प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनके विरुद्ध अपील निरस्त की जा चुकी है। इसलिये पत्रावली में आगे की कार्यवाही न्यायसंगत नहीं होगी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के उत्तराधिकारियों एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 को बिना सुने अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त निर्णय से अपील सारहीन हो चुकी है। अतः हस्तगत अपील इसी स्तर पर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में आज बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी अपीलांट असालतन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं हुये।

उपर्युक्त समस्त कारणों से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।



8/6/2023
गितेश श्री मालवीय
राजस्थान अपील प्राधिकारी
जिला न्यायालय
जिला इंदौर (राज.)
चित्तौड़गढ़